"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी 2026 — फाल्गुन 5, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2026

अधिसूचना

ESTB/1825/20266-GAD-5. – राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधिवास नियम, 2004 में निम्नानुसार और संशोधन करता है :–

उक्त नियमों में परिशिष्ट–3 (किराये की दरें) की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अनु. क्र.	भवन का नाम	कक्ष की श्रेणी	किराये की दर
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	छत्तीसगढ़ भवन/सदन/ निवास नई दिल्ली	(1) कक्ष	रू. 2000/– (प्रथम 03 दिवस हेतु)
2.		(2) Dormitory	रू. 300/– (प्रथम 03 दिवस हेतु)
3.		(3) सूइट	रू. 3000/– (प्रथम 03 दिवस हेतु)

2/ प्रथम 03 दिवस पश्चात् निम्नानुसार किराया लागू होगा :–

अनु. क्र.	भवन का नाम	कक्ष की श्रेणी	किराये की दर
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	छत्तीसगढ़ भवन/सदन/ निवास नई दिल्ली	(1) कक्ष	रू. 3000/–
2.		(2) Dormitory	रू. 400/–
3.		(3) सूइट	रू. 4000/–

3/ उक्त निर्धारित दरें अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.